

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA) 158

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 25th January, 1994

4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, and all other a powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the area around the Government Primary School at village Naharpur Kasan, tehsil and district Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the aid Act, namely:—

SCHEDULE

Schedule of boundaries of controlled area around Government Primary School at village Naharpur Kasan, tehsil and district Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 417/93 dated 25th May,

Starting from point 'A' i.e. north west corner of Rect. No. 42 of village Kankraula, thence, towards east along the northern boudary of Rect. No. 42, 43, 44 and 45 of village Kankraula, Rect. No. 6 and 7 of village Nahar Pur Kasan and Rect. No. 34, 35 and 36 of village Nawadha Fatehpur upto point 'B' where it meets with the western boundary of village Lakhnaula. North

Thence, towards south along the western boundary of village Lakhnaula upto point 'C' where it meets the boundary of controlled area already declared around Government High School of village Manesar,—vide Haryana Government Gazette Notification No. J.D.-91/750 dated 22nd Janauary, 1991 published on 28th January, 1991, thence towards south-west along the said controlled 22nd January, 1991 published on 28th January, 1991, thence, towards south-west along the said controlled area boundary upto point 'D' where it meets with the southern boundary of 20 of Village Khoh. East

Thence, towards west along the southern boundary of Rect. No. 20 and 21, thence towards north along the western boundary of Rect. No. 21, thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 16, thence towards west along southern boundary of Rect. No. 14 of Village Khoh and further along southern boundary of Rect. No. 86 of Village Kasan, thence, towards north along western boundary of Rect. No. 86, thence towards west along southern boundary of Rect. No. 55 upto point 'E' which is a south-west corner of Rect. No. 55 of Village Kasan. South

Thence, towards north along the western boundary of Rect. No. 55, 49, 26, 19, 6, 2 of Village Kasan and Rect. No. 48 and 42 of Village Kankraula upto point 'A' i.e. the point of start. West:

PRADEEP KUMAR.

Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

मधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

तथा मियन्तित श्रेव, अनियमित विकास निर्वन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों और इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य मिनत्यों का प्रयोग करते हुए, हिरियाणा के राज्यवाल, 'इसके हारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिद्धिट और इससे संलग्न नक्शे प्राथमिक विद्यालय के ग्रासपास के क्षेत्र को उक्त में दशीए गए गांव, नाहरपुर कासन, तहसील श्रीर जिला गुड़गांव के राजकीय अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्तित क्षेत के रूप में घोषित करते हैं, अथोत :-संख्या पी शि भी 0-94/800 -- पंजाब श्रनुस्चित सड़क

अनुसूची

गांव नाहरपुर कास्त, तहसील और जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के चारों और के नियन्तित क्षेत्र की सीया -अनुसूची को ड्राइंग संख्या डी० टी० पी० (जी०)में 417/93, दिनांक 25 मई, 1993 के साथ पढ़ा जाये। उत्तर: बिन्दु "क" से लेकर प्रथित् गांव कंकरोला की ग्रायत संख्या 42 का उत्तर-पूर्वी कोना, उसके बाद गांव कंकरोला की ग्रायत 34, 35 तथा 36 की उत्तरी सीमा के साथ-2 पूर्व की थ्रोर बिन्दु "ख" तक जहां यह गांव लखनौला की पश्चिमी सीमा के संख्या 42, 43, 44 तथा 45 गांव नाहरपुर कासन की प्रायत संख्या 6 तथा 7 और गांव नवधा फतेहपुर की प्रायत संख्या

प्रकाशित हरियाणा सरकार राजपत मधिसूचना सं० जे० डी॰ 91/750, दिनांक 22 जनवरी, 1991 द्वारा गांव मनेसर के पूर्व: उसके बाद गांव लखनौला का पश्चिमी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ब्रोर बिन्दु "ग" तक जहां यह 28 जनवरी, 1991 को नियन्तित क्षेत की सीमा के साथ-2 दक्षिण पश्चिम की ग्रोर बिन्दु "ध" तक जहां थह गांव खोह थी ग्रप्यत संख्या 20 की राजकीय उच्च विद्यालय के श्रासपास के पहले से ही घोषित नियन्तित क्षेत्र की सीमा के साथ मिलती है, उसके दक्षिणी सीमा के साथ मिलती है।

2 उत्तर की श्रोर, उसके बाद गांव खोह की श्रायत सं 0 14] की दक्षिणी विक्षण: उसके बाद मायत संख्या 20 तथा 21की दक्षिणी सीमा के साथ-2पश्चिम की मोर, उसके बाद मायत संख्या 21 की पश्चिमी उत्तर की और , उसके बाद आयत सं 0 16 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिम की और, उसके बाद सीमा के साथ- 2, पष्टिचम की घोर, घोर उसके बाद गांव कासन की घायत सं० 86 की दक्षिणी सीमा के साथ-2, उसके बाद प्रायत सं॰ 86 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ग्रोर, उसके बाद ग्रायत सं॰ 55 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 की और बिन्दु "ड़" तक जो गांव कासन की आयत हैं 0 55 का दक्षिणी पश्चिमी कोना है। भायत सं 0 16 की पश्चिमी सीमा के साथ सीमा के साथ-2

प्रिचम : उसकेबाद गांव मासन की प्रायत सं० 55, 49, 26, 19, 6, 2 मीर गांव कंकरोला की प्रायत सं० 48 मीर 42 की सीमा के साथ-2 उत्तर की ग्रोर बिन्दु "क्" तक ग्रयात् ग्रारम्भ के बिन्दु तक।

प्रदीप कुमार,

मायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम श्रायोजना विभाग।